36

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. COURT FEE भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs. 5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंम्प जबलपुर

निग - 1128 - I - 16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 6.4.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मिल्का शीबालाल पुत्री श्री सुनील कुमार गौड़
(पति श्री डेविड विनय लाल)
उम्र 42 वर्ष निवासी 45, नार्थ सिविल स्टेशन,
ललित कॉलोनी रोडद्व नेहरू वार्ड, घमापुर
जबलपुर म0प्र0

विरूद्व

गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

1- प्रवीण पुरी पिता श्री रामप्रकाश पुरी
निवासी विंग ए-5, फ्लैट नंबर 1, 2
आईडियल हिल्स, नर्मदा रोड, जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

6/4/16

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 30/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

K 1128-E/16

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1128-एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-4-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-21/15-16 में पारित आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भजिया प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. ईमलई तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 133, 118, 132, 131, 130, 117 रकबा क्रमशः 1.060, 2.000, 1.52, 0.400, 0.400 एवं 1.210 हैक्टर कुल रकबा 6.59 हैक्टर गैर आदिवासी व्यक्ति केता श्री प्रवीण पुरी पिता श्री रामप्रकाश पुरी को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, कुंडम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण तर्क हेतु दिनांक 16-5-16 के लिए नियत किया गया है । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का	

R1128/16

2.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुरोध किया गया था क्योंकि प्रस्तावित क्रेता का कहना था कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और यदि उन्हें तत्काल अनुमति प्राप्त नहीं हुई तो वे भूमि क्रय नहीं कर पायेंगे । किंतु कलेक्टर द्वारा उनके अनुरोध पर ध्यान न देते हुए प्रकरण में लंबी पेशी नियत करदी है, यदि उसे अनुमति नहीं दी गई तो उनका आवेदन निरर्थक हो जायेगा । उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 2.040 सिंचित भूमि ग्राम खमरिया में शेष बचती है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्न है, उनके द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति होते हुए कार्यवाही कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम भजिया स्थित आवेदित भूमियां ग्राम भजिया प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. ईमलई तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 133, 118, 132, 131, 130, 117 रकबा क्रमशः 1.060,	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1128 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

2.000 , 1.52, 0.400, 0.400 एवं 1.210 हैक्टर कुल रकबा 6.59 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर